**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**14.12.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 600 का उत्तर**

**रेलवे द्वारा गैर-किराया स्रोतों से राजस्व का अर्जन**

**600. श्री अनुभव मोहंतीः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि रेलवे यात्री किरायों को बढ़ाकर यात्रियों के बोझ को न बढ़ाने के प्रयोजन से गैर-किराया स्रोतों से राजस्व अर्जित करने की योजना बना रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे पूरी की पूरी गाड़ियों की ब्रांडिंग पैकेज पेश करके लगभग 2000 करोड़ रुपए के राजस्व का अर्जन करने की योजना बना रहा है; और

(ग) क्या इसका अर्थ यह है कि पूरी रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म में केवल विज्ञापक के उत्पाद ही बेचे जाएंगे, जिससे प्लेटफॉर्म पर आने वाली या उन गाड़ियों से यात्रा करने वाली जनता/यात्रियों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा?

**उत्तर**

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा)**

(क): किराए से इतर अन्य स्रोतों से राजस्व अर्जित करने के प्रयोजन से, भारतीय रेल द्वारा चल परिसंपत्तियां, आउट आफ होम विज्ञापन, रेल डिस्प्ले नेटवर्क, अनचाहे गैर किराया राजस्व प्रस्तावों और कंटेट ऑन डिमान्ड जैसी गैर-किराया राजस्व नीतियां जारी की गई हैं।

(ख): बजट अनुमान 2018-19 की अन्य विविध आमदनियों के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार के लिए 1200 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग): गाड़ियों की ब्रांडिंग का गाड़ियों अथवा प्लेटफॉर्मों पर वस्तुओं/उत्पादों की बिक्री से कोई संबंध नहीं है। संबंधित नीतिविषयक दिशानिर्देशों की विधिवत प्रक्रिया और कार्यप्रणालियों का अनुपालन करने के बाद गाड़ी अथवा प्लेटफार्म पर किसी भी विनिर्माता/सेवा प्रदाता के सभी अनुमेय/सूचीबद्ध उत्पादों की बिक्री की जा सकती है।

\*\*\*\*\*\*